न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 10 / रेगूलर / 2025 (GCMS No. 2025 / 87)	14.07.2025	29.07.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बून्दी

— प्रार्थी

बनाम

गोपाल गौड़ पुत्र कल्याण गौड़,
निवासी आदर्श पुलिस थाने के सामने, हिण्डोली
तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

— अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6—''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशा.) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 10 / 2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025 / 87 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित न्यायालय आकर दौराने बहस स्वयं के 16 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस अप्रार्थी को सिपुर्द करते हुए कार्यवाही को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 20.09.2024 को प्रवर्तन अधिकारी बून्दी द्वारा आदर्श पुलिस थाने के सामने, हिण्डोली पर अवैध भण्डारण की शिकायतों के संदर्भ में जांच की गयी। मौके पर उपस्थित गोपाल गौड पुत्र कल्याण गौड द्वारा उसकी दुकान के बगल के मकान/ कमरे की जांच करवाई गयी। जांच के दौरान उक्त स्थान स्वयं गोपाल का होना बताया गया एवं वहां रखा सामान, एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर के कुल 16 नग एवं रिफलिंग मोटर मय पाइप स्वयं के होना बताया गया। पूछताछ पर गोपाल द्वारा बताया कि वह इन टंकियों को बालाजी एचपी गैस एजेन्सी गोठडा से प्राप्त करता है एवं फिर छोटी टंकियों से गैस भरने की मशीन से कारों के ईंधन की गैस टंकियों में गैस ट्रांसफर का कार्य करता है। साथ ही यह भी बताया कि वह गांव वालों को एलपीजी गैस सिलेण्डर लाकर देने पर उनकी गाडियों की गैस की टंकी मे 30 रूपये के मेहनताने पर एलपीजी की रिफिल का काम भी करता है। अप्रार्थी के पास गैस रिफिल करने का कोई लाइसेंस नहीं मिला तथा सिलेण्डरों को कब्जे में रखे जाने संबंधी कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिले। अतः गैस सिलेण्डरों के अवैध भंडारण एवं अवैध रिफलिंग का कोई ठोस कारण नहीं देने के कारण उक्त 16 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 133 कि.ग्रा. एलपीजी गैस (10 सिलेण्डर एचपीसीएल एवं 6 सिलेण्डर इण्डेन कंपनी के), 01 रिफलिंग मोटर पम्प मय प्लास्टिक पाईप को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय गैस एजेंसी मैसर्स हिण्डोली इण्डेन गैस ऐजेन्सी, हिण्डोली के प्रतिनिधि श्री रितेश जैन की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों मय सामग्री को राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि वह आदर्श थाने के सामने, हिण्डोली में गैस रिफलिंग का कार्य करता है, अप्रार्थी के जीवनयापन का साधन यही है, किन्तु भविष्य में आगे वह ऐसा कृत्य नही करेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के 16 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस मय सामग्री अप्रार्थी को सिपुर्द किए जाने के आदेश फरमावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से भण्डारण किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान पेश तथ्य संतोषजनक नहीं पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप

से भण्डारण करना नियम विरूद्व है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नांकित गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं–

क्र.सं.	एसआर नम्बर	कम्पनी का नाम	शुद्ध वजन गैस कि.ग्रा.
1	009148-3	HPCL	19.0 कि.ग्रा.
2	069559T	HPCL	19.0 कि.ग्रा.
3	8038	HPCL	19.0 कि.ग्रा.
4	0904509	HPCL	–
5	013248-B	HPCL	–
6	006948-3	HPCL	19.0 कि.ग्रा.
7	457761	HPCL	19.0 कि.ग्रा.
8	0222675	HPCL	19.0 कि.ग्रा.
9	00734191	HPCL	19.0 कि.ग्रा.
10	1557	HPCL	–
11	480290	INDANE	–
12	548741	INDANE	–
13	87532	INDANE	–
14	659740	INDANE	–
15	809154	INDANE	–
16	16019	INDANE	–
17	एक गैस रिफलिंग मोटर मय प्लास्टिक वायर		–
		कुल गैस वजन	133.00 कि.ग्रा.

साथ ही जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 16 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस मय सामग्री के वापस कम्पनी को लौटाये जाने बाबत नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी